

अधिसूचना

नई दिल्ली, 2 फरवरी, 2018

सा.का.नि.160(अ).-केन्द्र सरकार, मसाला बोर्ड अधिनियम, 1986 (1986 का 10) की धारा 38 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मसाला बोर्ड (अधिवेशन) नियम, 1992 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:-

1.(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम मसाला बोर्ड (अधिवेशन) संशोधन नियम, 2018 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. मसाला बोर्ड (अधिवेशन) नियम, 1992 की (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है), विनियम 2 में, खण्ड (3) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रखा जाएगा, अर्थात्,
“अध्यक्ष” से “बोर्ड का अध्यक्ष” अभिप्रेत है।
3. उक्त नियम के नियम 5 में, दोनों स्थानों पर, “सचिव” शब्द के स्थान पर “ मसाला बोर्ड के निदेशक या उप सचिव स्तर का अधिकारी” शब्द रखा जाएगा।
4. नियम 8 के उप नियम(1) और उप नियम (2) में, “अध्यक्ष” शब्द के स्थान पर, जहां कहीं वे शब्द आते हैं, उन स्थानों पर, “सचिव” शब्द रखा जाएगा।
5. नियम 11 के उप नियम(1) में “सचिव” शब्द के स्थान पर “ मसाला बोर्ड के निदेशक या उप सचिव स्तर का अधिकारी” शब्द रखा जाएगा।
6. नियम 12 के उप नियम(3) में “सचिव” शब्द के स्थान पर “ मसाला बोर्ड के निदेशक या उप सचिव स्तर के अधिकारी” शब्द रखा जाएगा।
7. नियम 13 के उप नियम(2) में “अध्यक्ष” शब्द के स्थान पर “ सचिव” शब्द रखा जाएगा।
8. नियम 15 में, उप नियम(1) के स्थान पर निम्नलिखित उप-नियम रखा जाएगा, अर्थात्:-
“सचिव 'कार्यपालक समिति', 'इलायची अनुसंधान और विकास समिति' और 'मसाला विपणन विकास समिति' की बैठकों की अध्यक्षता करेगा। सचिव की अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष इन समितियों की बैठकों की अध्यक्षता करेगा। सचिव और उपाध्यक्ष की अनुपस्थिति में बैठक की अध्यक्षता मसाला बोर्ड के निदेशक या उप सचिव स्तर का अधिकारी करेगा। ”
9. उक्त नियम के नियम 16 में “सचिव” शब्द के स्थान पर “ मसाला बोर्ड के निदेशक या उप सचिव स्तर का अधिकारी” शब्द रखा जाएगा।

[फ़ा. सं. 5/10/2016-बागान-डी]

संतोष कुमार सारंगी, संयुक्त सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 2nd February, 2018

G.S.R. 160 (E).—In exercise of the powers conferred by section 38 of the Spices Board Act, 1986 (10 of 1986), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Spices Board (Meeting) Rules, 1992, namely:-

1. (1) These rules may be called the Spices Board (Meeting) Amendment Rules 2018.
(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
2. In the Spices Board (Meeting) Rule, 1992 (hereinafter referred to as the said rules), in rule 2, for clause (iii), the following clause shall be substituted, namely:-
“Chairman” means the Chairman of the Board”.
3. In rule 5 of the said rule, for the word “Secretary”, the word “Director or Deputy Secretary level officer of Spices Board” shall be substituted.
4. In sub-rule (1) and sub-rule (2) of rule 8, for the “Chairman” wherever they occur, the word “Secretary” shall be substituted.
5. In sub-rule (1) of rule 11, for the word “Secretary”, the words “Director or Deputy Secretary level officer of Spices Board” shall be substituted.
6. In sub-rule (3) of rule 12, for the word “Secretary”, the word “Director or Deputy Secretary level officer of Spices Board” shall be substituted.
7. In sub-rule (2) of rule 13, for the word “Chairman”, the word “Secretary” shall be substituted.
8. In rule 15, for sub-rule (1) , the following sub-rule shall be substituted, namely:-
“The Secretary shall preside over the meetings of the ‘Executive Committee’.

‘Research and Development Committee for Cardamom’ and ‘Market Development Committee for Spices’. In the absence of the Secretary, the Vice-Chairman, shall preside over the meetings of these committees and in the absence of Secretary and Vice-Chairman, the Director or Deputy Secretary level officer of the Spices Board shall preside over the meetings.”

9. In rule 16 of the said rules, for the word “Secretary” the word “Director or Deputy Secretary level officer of Spices Board” shall be substituted.

[F.No. 5/10/2016-Plant- D]

SANTOSH KUMAR SARANGI, Jt. Secy.

Note:- The principal rules were published *vide* number GSR.673 (E) dated the 9th July, 1992 and last amended *vide* number GSR No. 116 (E), dated the 24th February 1994.

RAKESH
SUKUL

Digitally signed by
RAKESH SUKUL
Date: 2018.02.19
19:20:06 +05'30'